महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता
सं0 : 1908 / 69–1–04–14(50) / 03

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

राष्ट्रीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2004

विषय :प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना के अन्तर्गत किचेन बनावाने तथा समन्वय समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–भा0स0–104 / 69–1–03–14(50) / 03 दिनांक 15–9–03 तथा 2526 / 69–1–03–14(50) / 03, दिनांक 10.12.2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हो सकी है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ–11–1 / 2001–एन.एस.पी.ई.(एम.डी.एम.) दिनांक 14.11.2003 जो आपको पहले ही भेजा जा चुका है, के सन्दर्भ में प्रदेश शासन को प्राथमिक शिक्षा विभाग की नगरीय क्षेत्र के मलिन बस्तियों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया है। पत्र में एक किचेन शेड के निर्माण पर रूपये 35,000 / –लागत मूल्य अंकित है। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 25.06.2004 की प्रति संलग्न है।

3. अतः अनुरोध है कि किचेन शेड के निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति से शासन को कृपया तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार को तद्नुसार अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
ह0
(महेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0)
एवं सर्व शिक्षा अभियान

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
निशातगंज, लखनऊ–226007
2780995, 2781315 फैक्स : 0522–2782715, 2781123, 2781128
ई–मेल : नचकचमच/ंदबींतदमजण्पद

सेवा में,

जिला/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/म0भो0/935/2004–05 दिनांकः 09 अगस्त, 2004

विषयः उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1688/79–6–04–1(6)2000 टी0सी0–3 दिनांक 06 अगस्त, 2004 द्वारा निर्देश दिए गये है कि प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) उपलब्ध कराया जाना है। प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करायी जानी है।

इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि0का0/एसएसए/मर0एवंरख0/537/2004–05 दिनांक 23 जून, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा विद्यालय विकास अनुदान से विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय की जाने वाली सामग्री को निर्धारित किया गया है। सामग्री की सूची में भोजन पकाने हेतु बर्तनों को खरीदने का प्राविधान है (सूची पुनः संलग्न है)।

शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय विकास अनुदान मद में वर्ष 2004–05 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सर्वप्रथम भोजन पकाने हेतु समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बर्तनों का क्रय निश्चित रूप से किया जाय। आगामी बैठक में बर्तनों के क्रय के सम्बन्ध में प्रगति से भी अवगत कराया जाय।

संलग्नक : उक्तवत्।

भवदीय
ह0
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः नि0का0/एसएसए/म0भो0/935/2004–05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के उनके पत्रांक 1688/79–6–04–1(6)2000टी0सी0–3 दिनांक 6 अगस्त, 2004 के क्रम में।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज लखनऊ।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद।
4. विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

ह0
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर राज्य परियोजना निदेशक

2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, / 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
ूमइेपजमू ण्नचेनकंण्बवउ

पत्रांकः 1945 / 110 / तीन / 9– **दिनांकः** **09 अगस्त, 2004**

सेवा में
समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

विषयः प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को दोपहर के भोजन की योजना के अन्तर्गत किचेन बनवाने तथा समन्वय समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1908 / 69–1–04–14(50) / 03, दिनांक–3 अगस्त, 2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में किचेन शेड के निर्माण से सम्बन्धित है। पत्र की छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। आपका ध्यान भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या–एफ 11–1 / 2001–एनएसपीई (एम.डी.एम.), दिनांक 14 अगस्त, 2003 की ओर आकृष्ट कराते हुए यह अवगत कराना है कि नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में किचेन शेड का निर्माण राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत एवं नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों को छोड़कर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लक्ष्य समूह वाले शेष नगरीय क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के उप–घटक नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्लू.ई.पी.) के अन्तर्गत कराये जाने का निर्देश भारत सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2003 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार एन.एस.डी.पी. तथा एस.जे.एस.आर.वाई. के उप घटक यू.डब्लू.ई.पी. के अन्तर्गत आबंटित बजट से नियमानुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण कार्य करने का कष्ट करें। कृपया इस दिशा में पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट से भी सूडा को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय
ह0
(दिवाकर त्रिपाठी)
निदेशक

<u>पंत्राक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या 1908 / 69–1–04–14(50) / 03, दिनांक 3.08.2004 तथा पत्रांक यूओ–48 / 69–1–04–1(6) / 2000 जी, दिनांक 05 अगस्त, 2004 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भारत सरकार के संलग्न पत्र–एफ 11–1 / 2001–एनएसपीई(एमडीएम), दिनांक 14 अगस्त, 2003 के अनुसार समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0 को मलिन बस्ती व मलिन बस्ती के बाहर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लक्ष्य समूह के श्रोतों में आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण के निर्देश जारी कर दिए गये है। शेष नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण अन्य विभागों से कराये जाने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

ह0
(दिवाकर त्रिपाठी)
निदेशक

जे0एस0दीपक
राज्य परियोजना निदेशक
सर्वशिक्षा अभियान एवं
सचिव, बेसिक शिक्षा

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज
लखनऊ–226007
दूरभाष–कार्या0–2780384, 2780893
फैक्स : (0522) 2731128, 2781123
ई–मेल : नचकचमच/ंदबपदंदमजण्पद
व0श0प0स0 : 03/2004–2005

लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2004

प्रिय महोदय,

आप अवगत ही है कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत पका–पकाया खाना छात्र–छात्राओं को खिलाने का निर्णय लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपदों को धनराशियाँ अवमुक्त की गई है और खाद्यान्न का आवंटन किया गया है।

इस महत्वपूर्ण योजना को सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि जिलाधिकारी स्वयं अपनी देखरेख में इस योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को समय से व गुणवत्ता के साथ मिल सके। इसी उद्देश्य से शासन ने निर्णय लिया है कि मध्यान्ह भोजन योजना के लिए जलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

इस सन्दर्भ में आपके स्तर से निम्नलिखित बिन्दुओं के प्रति कार्यवाही की अपेक्षा हैः–

1. उक्त योजना का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होना है। यह नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कन्वर्जन कास्ट की धनराशि वास्तविक रूप से ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित हो गई है।
2. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि खाद्यान्न के आवंटन के विपरीत उठान नियमित रूप से इस योजना के तहत हो रहा है और प्रत्येक कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठाया जा रहा है तथा स्कूलों को मध्यान्ह भोजन योजना हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. सुचारू रूप से संचालन हेतु यह आवश्यक है कि इसका लगातार निरीक्षण किया जाय तथा इस वृहत योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर किया जाय। अतः आप स्वयं प्रति माह कम से कम 10 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना का निरीक्षण करें तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारियों से भी विद्यालयों का निरीक्षण करायें। ब्लॉक एवं जनपदीय अधिकारियों का एक रोस्टर बनाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण हो जाय तथा निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) में आख्या आपको प्रस्तुत की जाय। इसमें पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, शिक्षा, बाल विकास परियोजना, विकास खण्ड (खण्ड विकास अधिकारी व सहायक खण्ड विकास अधिकारी) इत्यादि के अधिकारियों को सम्मलित किया जाय।
4. यह एक नयी योजना है तथा इसे प्रभावी रूप से चलाने हेतु विभिन्न विभागों के बीच सम्न्वय की आवश्यकता है। अतः इस योजना की समीक्षा प्रत्येक माह दो बार आवश्य करें तथा इसके कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की अगली समीक्षा बैठक 7 दिसम्बर, 2004 तक अवश्य कर लें।
5. शहरी क्षेत्रों में उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाय। इसके अच्छे परिणाम गाजियाबाद एवं जनपदों में आने लगे है। अन्य बड़े नगरों में भी ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाओं को खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट सीधे जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था

की जाय तथा आवश्यकतानुसार उन्हें एक से अधिक विद्यालयों हेतु केन्द्रीय किचन चलाने की भी अनुमति दी जाय।

6. जनपद में उपलब्ध खाद्य निरीक्षकों को समय–समय पर प्राथमिक विद्यालयों में भेजकर पके–पकाये भोजन के नमूनों को जाँच कराई जाय तथा भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखा जाय जो अधिकांश स्कूल में इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने जाय वह भी यथासम्भव भोजन ग्रहण कर उसकी गुणवत्ता पर सुझाव ग्राम प्रधान/अध्यापक/रसोइये को दें।
7. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड बनवाने के निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि अगले वर्ष 2005–06 को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कार्ययोजना में किचन शेड निर्माण को सम्मिलित किया जाय।
8. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को दिए गये विद्यालय विकास अनुदान (रू0 2000) से खाना बनाने के बर्तन खरीदने के निर्देश दिए गये थे। यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में उक्त धनराशि का सदुपयोग कर बर्तनों का क्रय हो गया है तथा विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुरूप भोजन पकाने हेतु पर्याप्त बर्तन उपलब्ध है।
9. यह भी सुनिश्चित करना है कि जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना का लेखा–जोखा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा किया जाय।
10. उक्त योजना के अन्तर्गत ब्वदअमतेपवद बवेज की प्रतिपूर्ति ;तमपउइनतेमउमदजद्ध भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त करना है। अतः शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में उक्त योजना का उपभोग प्रमाणपत्र;न्जपसप्रंजपवद बमतजपपिबंजमद्ध शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराया जाय।

मध्यान्ह भोजन योजना को क्रियान्वित करने में यद्यपि कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही है, मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इसे महत्वपूर्ण योजना का लाभ बच्चों को मिलेगा और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता का पका –पकाया भोजन बच्चों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे।

इस सम्बन्ध में आपके सुझोवों की भी मुझे प्रतीक्षा रहेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह0

(जे0एस0दीपक)

जिलाधिकारी

उ0प्र0